उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0 7–3106/11–2004–500(15)/2004–टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–202

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निन्यानवे वर्ष की अविधि के लिए पट्टे की लिखतों, जब वे उत्पादन (नवीन क्षमता और आर एवं एम) पारेषण और वितरण में संबंधित ऐसी परियोजनाओं में, जहां उत्तर प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 2009 तक की नीति अवधि के भीतर कुल पूँजीगत निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, निजी निवेशक कम्पनी के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2004 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति, 2003 के अधीन निष्पादित की गयी हों, के संबंध में देय निबन्धन शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

टिप्पणी :– इस आदेश की अधीन छूट केवल ऐसे प्रमाण पत्र पर अनुमन्य होगी, जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उस विभाग के विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, उपर्युक्त परियोजना में एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश के लिए निजी निवेशक कम्पनी को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करते हुए जारी किया गया हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification K.N.5-3106/XI-2004-500(15)-2004 TC dated June 16, 2004 for general information:

No. K.N. 5-3106/XI-2004-500(15)/2004 TC
Lucknow, Dated June 16, 2004

Notification

In exercise of the power under section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908), the Governor is pleased to remit the registration fees payable in respect of the instruments of lease for a period of ninety-nine years when executed under Uttar Pradesh Power Policy, 2003 as amended in 2004 by the Government or Uttar Pradesh in favour of the private investor company in projects relating to Generation (new capacity and R & M) Transmission and Distribution where the aggregate capital investment within the polic period up to March 31, 2009 is Rupees one thousand crore or more in the State of Uttar Pradesh.

Note :- The remission under this shall only be admissible on the certificate issued to the private investor company for investment or rupees one thousand crore or more in the aforesaid project by the Principal Secretary, Department of Enerty, Government of Uttar Pradesh or an officer authorized by him not below the rank or Special Secretary of that Department under intimation to the Principal Secretary, Tax and Registration Department, Government of Uttar Pradesh.

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.